उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-11/2023/484/एक-1-2023-रा0-1

लखनऊः दिनांकः 31 मई, 2023

अधिसूचना

जिलाधिकारी, श्रावस्ती के पत्र संख्या-632/डी0एल0आर0सी0/2022, दिनांक 15-6-2022 एवं पत्र संख्या-6454/सात-डी0एल0आर0सी0/2022, दिनांक 08 जुलाई, 2022 के क्रम में उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा-2 सपठित धारा-101 की उपधारा-2 के परन्तुक में प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महामंग्कोल छाय धम्मा डिवोटेड लैण्ड फार वर्ल्ड पीसफुलनेस फाउण्डेशन कटरा, श्रावस्ती की भूमि के मध्य आ रही ग्राम राजगढ़ गुलरिहा परगना व तहसील इकौना, जनपद श्रावस्ती में चकरोड की भूमि गाटा संख्या-1601/0.006हे0, 1608/0.018हे0, 1613/0.025हे0, 1622/0.050हे0, व 1567/0.012हे0 तथा नाली की भूमि गाटा संख्या-1605/0.019हे0, 1607/0.010हे0 व 1618/0.033हे0 कुल 08 किता रकबा 0.173हे0 का विनिमय, उसी गांव में स्थित संस्था की भूमि गाटा संख्या-1170/0.235हे0 में से रकबा 0.173हे0, जिसका मूल्य रू0 4,58,450/- है, के विनिमय की अनुमति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त भूमियों का श्रेणी परिवर्तन/विनिमय अपरिहार्य परिस्थितियों में संस्था की भूमि के मध्य आ जाने के दृष्टिगत किया जा रहा है। संस्था से आरक्षित श्रेणी की भूमि के श्रेणी परिवर्तन हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत धनराशि शुल्क निर्धारित लेखा-शीर्षक "0029-भूराजस्व-800-अन्य प्राप्तियॉ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियॉ" के नाम जमा कराया जायेगा।

(2) जिलाधिकारी द्वारा महामंग्कोल छाय धम्मा डिवोटेड लैण्ड फार वर्ल्ड पीसफुलनेस फाउण्डेशन कटरा, श्रावस्ती से विनिमय के माध्यम से ग्राम सभा को प्राप्त संस्था की भूमि को चकमार्ग एवं नाली के रूप में दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ताकि उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा आदि न हो सके।

(3) लोक प्रयोजन की भूमि का श्रेणी परिवर्तन तथा विनिमय का आदेश प्राप्त होने पर जिलाधिकारी द्वारा अधिकार अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तदनुसार संशोधन की कार्यवाही 15 दिन में पूर्ण किया जायेगा।

(4) जिलाधिकारी कृत कार्यवाही की पूर्ण सूचना शासन तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद को 30 दिन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

आज्ञा से,
सुधीर गर्ग
अपर मुख्य सचिव।

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

<u>प्रतिलिपि संख्या एवं दिनांक तदैव</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. आयुक्त देवीपाटन मण्डल, देवीपाटन।
3. जिलाधिकारी, श्रावस्ती।
4. सुश्री नेफापॉर्न सोम्बनफॉन्ग, जनरल सेक्रेटरी, महामंग्कोल छाय धम्म डेवोटेड लैंड फॉर वर्ल्ड पीसफुलनेस फाउंडेशन, विलेज-कटरा, श्रावस्ती।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।